

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. †1022.**

**TO BE ANSWERED ON THE 19TH DECEMBER, 2018/AGRAHAYANA 28, 1940 (SAKA)
DIRECTIVES FOR ADVERTISEMENTS IN OFFICIAL LANGUAGE**

†1022. DR. SATYANARAYAN JATIYA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the details of advertisements along with money spent on them by various Ministries of Government under official language directives in each year since the year, 2014 and language-wise details of the money spent; and
- (b) the latest directives with regard to advertisements in official language in view of the above?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJIJU)**

(a) and (b): The directives with regards to advertisements in official language before 31.03.2017 were “a certain percentage of total expenditure on Government advertisements to be given in Hindi and English may be decided by Central Ministries/Departments according to their requirements.” and after 31.03.2017 “any advertisement given by any Ministry/ Department/ Office/ Subordinate Office etc. in English or Regional Language, has to be compulsorily given in Hindi Language.”

The data on the details of advertisements along with money spent between the years 2014-2017 would have been maintained by the Ministries/ Departments/ Subordinate offices etc. concerned.

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1022

दिनांक 19.12.2018/28 अग्रहायण, 1940 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा में विज्ञापन हेतु दिशा-निर्देश

†1022. डा० सत्यनारायण जटिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राजभाषा नीति निर्देश के अंतर्गत वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष विज्ञापन के व्यौरे के साथ-साथ उस पर खर्च की गई राशि का व्यौरा क्या है और खर्च की गई राशि का भाषा-वार व्यौरा क्या है; और
- (ख) उपर्युक्त के मद्देनज़र राजभाषा में विज्ञापन जारी करने के संबंध में अद्यतन निर्देश क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरन रिजिजू)

- (क) और (ख): राजभाषा में विज्ञापनों के संबंध में निर्देश दिनांक 31.03.2017 से पहले "हिंदी और अंग्रेजी में दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों पर कुल व्यय का कुछ प्रतिशत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार निर्णित किया जा सकता है" और दिनांक 31.03.2017 के बाद "किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय इत्यादि द्वारा अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में दिया गया कोई भी विज्ञापन अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में भी दिया जाना है" थे।

वर्ष 2014-2017 के बीच व्यय की गई धनराशि के साथ विज्ञापनों के व्यौरे के आंकड़े संबंधित मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि द्वारा रखे गये होंगे।
